

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019

प्रलिस के लयः

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019, 1985 का असम समझौता, नागरिकों का राष्ट्रीय रजस्रर (NRC)

मेन्स के लयः

सरकारी नीतयों और हस्रतकषेप, धरुमनरररररररररर, संवधरन की छठी अनुसूची

चरुचा में क्योँ?

हल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2020-21 के लयः अपनी नवीनतम वारुषकः रररररर में कहा है कः [नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019](#) एक सहानुभूतरररररर और सुधलरररररररर कानून है और यह कःसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचतर नहीं करतर है ।

- CAA का उददेश्य अफगानस्रतान, बांग्लादेश या पाकस्रतान के हदुः, सखः, बौदध, जैन, पारसी या ईसाई समुदलयों के परवासररों को नागरिकता देना है । यह 12 दसंरर, 2019 को अधसूचतर कयः गया और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था ।
- इस कानून का पूरे देश में वयःपक वररररर हुआ था ।

CAA की चुनौतरयों:

- वशेष लकषतर समुदलयः** ऐसी आशंकारें हैं कः CAA के बाद [राष्ट्रीय नागरकः रजस्रर \(NRC\)](#) का देशवयःपी संकलन कयः जाएगा, जसःमें परस्रतलवतर नागरकः रजस्रर से बहषुकृत गैर-मुसलमान ललभानवतर होंगे, जबकः बहषुकृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबतर करनी होगी ।
- उत्तर-पूरव से संबधतर मुददः** यह 1985 के असम समझौते का खंडन करतर है, जसःमें कहा गया है कः 25 मारु, 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध परवासररों, चले वे कःसी भी धरुम के हों, को नरररररररररर कः दयः जाएगा ।
 - असम में अनुमानतर 20 मलयःन अवैध बांग्लादेशी परवासी हैं और ये परवासी राजु के संसाधनों और अरुथवयवसुथा पर दबलव डललने के अलललल राजु की जनसांख्यकः को अनवलरररररररररर रूप से परवलरररररररररर करते हैं ।
- मौलकः अधकररों के खलललल** : आलोककों का तरु है कः यह संवधरन के [अनुच्छेद 14](#) (समानता के अधकरर की गारंटी देतर है जो नागरकः और वदशररों दोनों पर लागू होता है) तथा संवधरन की परस्रतलवना में नहतर [धरुमनरररररररर](#) के सदधररर का उल्लंघन है ।
- भेदभावपूरणः** भारत में कई अन्य शरणारुथी हैं जःनःमें शरीलंका के तमलः और मयःमार के हदुः रोहगःया शलमलः हैं । ये अधनःयःम के दलयरे में नहीं आते हैं ।
- परशासन में कठनलईः** सरकार के लयः अवैध परवासररों और सतराए गए लोगों के बीच अंतर करना मुशकलः होगा ।
- दवपकषीय संबधों में बलधाः** यह अधनःयःम उपरयुकुत तीन देशों में धरुमकः उत्पीडन पर परकलश डललतर है और इस परकार उनके साथ हलारे दवपकषीय संबधों को खरलब कर सकतर है ।

गृह मंत्रालय दवलरल सपषुटीकरणः

- भारतीय नागरकः पर लागू नहींः** CAA भारतीय नागरकः पर लागू नहीं होता है । इसलयः यह कःसी भी तरह से कःसी भी भारतीय नागरकः के अधकरर को समाप्त या कम नहीं करतर है ।
- भारतीय नागरकः परलप्त करने की कानूनी परकरररररररररर रहती हैः**
- इसके अलललल [नागरकः अधनःयःम, 1955](#) में परदान की गई कःसी भी शुरणी के कःसी वदशी दवलरल भारतीय नागरकः परलप्त करने की वरुतमान कानूनी परकररररररररररररररर में है और CAA इस कानूनी सुथतरः में कःसी भी तरह से संशोधन या परवलरररररररररर नहीं करतर है ।
 - अतः कःसी भी देश के कःसी भी धरुम के कानूनी परवासररों के पंजीकरण या देशीयकरण के लयः कानून में पहले से परदान की गई परलरररर शरुतों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरकः परलप्त की जा सकेगी ।
- पूरवोत्तर भारत से संबधतर मुददों को सुलझलनल** : वारुषकः रररररर में एक बार फरः पूरवोत्तर में कानून को लेकर आशंकारों को दूर करने का परयलस कयः गया है जसःमें कहा गया है कः [संवधरन की छठी अनुसूची](#) के तहत कषेतरुं और [इनर ललइन परमतरः](#) शासन के तहत आने वाले कषेतरुं को शलमलः

करने से क्षेत्र की स्वदेशी और आदवासी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चिती होगी ।

आगे की राह

- इसके बारे में नयिमें की अधसूचना, जसिके बनिा कानून लागू नहीं कयिा जा सकता है, सरकार की ओर से कोई प्रतबिद्धता न होने के कारण लंबति है ।
- इस प्रकार गृह मंत्रालय को चाहयिे कविह CAA नयिमें को अत्यंत पारदरशतिा के साथ अधसूचिती करे तथा इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर करे ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न: भारतीय संवधिान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान संबंधति है: (2015)

- (a) अनुसूचिती जनजातयिों के हतिों की रक्षा करना
- (b) राज्यों के बीच की सीमाओं का नरिधारण
- (c) पंचायतों की ज़मिमेदारी, शक्तयिों, अधिकार का नरिधारण
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हतिों की रक्षा करना

उत्तर: (a)

- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचिती क्षेत्रों व अनुसूचिती जनजातयिों के प्रशासन एवं नयिंत्रण के लयिे प्रावधान करती है ।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधति है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mha-on-citizenship-amendment-act-2019>

